



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]
No. 319]नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2006/आषाढ़ 23, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2006/ASADHA 23, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2006

सा.का.नि. 424(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग के पत्तन स्कंध की दिनांक 30-6-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 391(अ), के साथ पठित दिनांक 2-5-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 266(अ), दिनांक 23-5-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 306(अ), दिनांक 7-6-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 350(अ), और दिनांक 20-6-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 371(अ), के क्रम में, केन्द्र सरकार, उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम सं. 12 के बाद, निम्नलिखित को एतद्वारा, काँडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

तालिका

13.	श्री पी. एन. सूरी, सदस्य, पी.एच.डी.सी.सी.आई., पी.एच.डी. भवन, 4/2, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii)(4) में परिकल्पित, "अन्य हित" के प्रतिनिधि।
14.	श्री ए. के. गुप्ता, भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी संघ, महाप्रबंधक (टंकी पोत और वाणिज्यिक), भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (बी. और टी. प्रभाग), सुदम कालू अहीरे मार्ग, वली, मुम्बई-400025	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii)(4) में परिकल्पित, "अन्य हित" के प्रतिनिधि।

[फा. सं. पीटी-18011/8/2005-पीटी]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Shipping)****(PORTS WING)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th July, 2006

G.S.R. 424(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 266(E), dated 2-5-2006, No. G.S.R. 306(E), dated 23-5-2006, No. G.S.R. 350(E), dated 7-6-2006, No. G.S.R. 371(E), dated 20-6-2006 read with No. G.S.R. 391(E), dated 30-6-2006, the Central Government hereby appoints the following as trustees after serial number 12 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

TABLE

13.	Shri P. N. Suri, Member, PHDCCI, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.	Representing "Other interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(ii)(4) of the Major Port Trusts Act, 1963.
14.	Shri A. K. Gupta, (INSA), General Manager (Tanker and Commercial), Shipping Corporation of India Ltd. (B and T Div.), Sudam Kalu Ahire Marg, Worli, Mumbai-400025.	Representing "Other interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(ii)(4) of Major Port Trusts Act, 1963.

[F. No. PT-18011/8/2005-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.